



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
(Shakti Bhawan, Lucknow)

संख्या : 395 -ज०श० एवं प्र०सु०(०१)/पाकालि/१०-२१ प्र०सु०/२००१ TC-3 | दिनांक : १७ मई, २०१०

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय-ज्ञाप सं०-६९६ एवं ६६-ज०श० एवं प्र०सु०(०१)/पाकालि/०९-२१ प्र०सु०/२००१ T.C.-३ कमशः दिनांक २३-१०-२००९ एवं २५.०१.२०१० के अन्तर्गत 'अन्तर निगम स्थानान्तरण नीति' में अन्तर निगम स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय सीमा २२-०१-२०१० को, पावर कारपोरेशन/पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन एवं मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि० के निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में अन्तिम रूप से दिनांक ३१-०५-२०१० तक बढ़ाये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या-३९५ (i) ज०श० एवं प्र०सु०(०१)/पाकालि/२०१० तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

१. सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
२. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
३. अपर प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव/प्रमुख निजी सचिव उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
४. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/केस्को-कानपुर।
५. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
६. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
७. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की प्रबन्ध निदेशकों की सहमति प्राप्त न होने पर भी आवेदक द्वारा याचित स्थान पर निर्धारित तिथि तक तैनाती कर प्रकरण को समाप्त कर दिया जाय।
८. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण निगम लि०।

9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की प्रबन्ध निदेशकों की सहमति प्राप्त न होने पर भी आवेदक द्वारा याचित स्थान पर निर्धारित तिथि तैनाती कर प्रकरण को समाप्त कर दिया जाय।
11. समस्त संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण निगम लि०।
14. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (आडिट-2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. समस्त मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/उपमुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/ट्रन्सको-लखनऊ/केस्को-कानपुर।

आज्ञा से,


(नन्द लाल)

निदेशक (क०प्र० एवं प्रशा०)